

# भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये


रु.20

भारत

Rs.20

TWENTY  
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

01AA 126446

प्रारूप 26

(नियम 4 क देखिए)

51 सोमेश्वर (अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित) निर्वाचन क्षेत्र से  
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष  
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

मैं,

राजेश लाल

पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. रतन लाल आयु 47 वर्ष जो ग्राम इनकोट

पो. भेसोड़ी, तहसील व जिला अल्मोड़ा का/की निवासी हूँ और उपरोक्त  
निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता  
हूँ/करती हूँ :-

1. मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध  
(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें संक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप  
विरचित किया गया है/किए गए हैं। लागू नहीं है  
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित  
जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं शून्य

(ii) पुलिस थाना (स्थान) शून्य जिला (जिले) शून्य  
राज्य

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनिगमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त  
विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है

राजेश लाल

- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई शून्य  
 (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे शून्य  
 (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं शून्य

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए करावास से दंडादिष्ट किया गया है/दंडादिष्ट नहीं किया गया है। — लागू नहीं  
 (यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडानिष्ठ किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं शून्य  
 (ii) न्यायालय जिसने दंडित किया है शून्य  
 (iii) पुलिस थाना (थाने) शून्य जिला (जिले) राज्य शून्य  
 (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है शून्य  
 (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे शून्य  
 (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गये हैं शून्य



स्थान: सोमेश्वर (अल्मोड़ा)  
 तारीख: 9/01/2012

राजेश्वर  
 अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

**सत्यापन**

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

सोमेश्वर (अल्मोड़ा) स्थान पर आज तारीख 9/01/2012 को सत्यापित किया।

राजेश्वर  
 अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी : इस प्ररूप के वे स्तंभ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाए।

Verified that Sri/Smt. RAJESHWAR  
 S/o. SRIPATAM is the deponent  
 Identified by Self  
 has Sworn & Verified the Contents  
 of this Affidavit on 9-1-12  
 at ALMORAH P. M. at Someshwar  
9-1-12  
K. Someshwar  
 Notary - SOMESHWAR